



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
3 फीट एक्स  
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय  
1fCFI1 wf 110001  
ट्रांसपोर्ट भवन 1 पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली 110001



सं. RWNH2901312016PM RSCEpt दिनांक 13022017

कार्यालय ज्ञापन

सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए उप दिशानिर्देश  
केंद्रीय सड़क नर्धि(सीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सड़कों पर कार्य प्रस्ताव

वभिन्नि श्रेणियों की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।  
आर्थिक नुकसान और बहुमूल्य जीवन की हानि के मद्देनजर यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।  
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के उपाय के रूप में राष्ट्र के लिए  
चिन्तित स्थानों पर दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम करने के लिए इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया  
राज्य की सड़कों के सुधार के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एक कदम उठाया है।  
राज्य की सड़कों, एसएच, एमडीआर, ओडीआर पर सड़क सुरक्षा कार्यों को मंजूरी देने का निर्णय  
सीआरएफ दिशानिर्देशों के तहत राज्य सड़कों के लिए आवंटित धनराशि का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है  
सड़क सुरक्षा कार्यों की पहचान, प्रस्तावों की तैयारी, उनकी स्वीकृति और  
कार्यान्वयन नमिनानुसार है  
2 वित्तपोषण

सड़कों के लिए केंद्रीय सड़क नर्धिका के आवंटन से धन की आवश्यकता पूरी की जाएगी।  
ग्रामीण सड़कों के अलावा सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए आवंटित धनराशि अनुमेय नहीं होगी।  
विकास और रखरखाव के लिए केंद्रीय सड़क नर्धिका के आवंटन के भीतर  
ईआई आईएससी के लिए निर्धारित सड़कों के अलावा अन्य सड़कों के लिए नर्धिका 10 प्रतिशत  
01042016 तक यदि कोई पछिला अव्ययति शेष हो तो उसे प्रत्येक के लिए चिन्तित किया जाएगा।  
राज्य सड़कों अर्थात राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए वर्ष  
जिला सड़कों और अन्य जिला सड़कों सीआरएफ राज्य सड़क नयिम 2014 लागू कर दिए गए हैं  
तदनुसार सीआरएफ राज्य सड़क संशोधन नयिम 2016 के माध्यम से संशोधित किया गया है जिस दिनांक 01.04.2016 के तहत अधिसूचित किया गया  
जीएसआर 619ई दिनांक 23062016 राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार नर्धियों की उपलब्धता होगी  
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः सूचित किया गया

3 सड़क सुरक्षा कार्यों की पहचान

31 चिन्तित सड़क के सुधार के लिए सड़क सुरक्षा कार्य प्रस्तावित किए जा सकते हैं  
सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट की परिभाषा के अनुसार राज्य की सड़कों पर दुर्घटना ब्लैक स्पॉट  
मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान विंग द्वारा उनके पत्र संख्या एमआर द्वारा प्रसारित  
1701812015TRWpt दिनांक 30122015तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न सड़क  
सुरक्षा संबंधी चिंताओं के सुधार के लिए सुरक्षा कार्यों की भी पहचान की जा सकती है।  
चयनित खंडों पर किए गए सड़क सुरक्षा ऑडिट की सफिराशों  
की सफिराशों के आधार पर सड़क सुरक्षा कार्य भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं।  
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष निकाय या विशेषज्ञ समितियों  
उद्देश्य

32 ये कार्य राज्य की वभिन्नि सड़कों की श्रेणियों के अनुसार प्रस्तावित किए जाने चाहिए।  
उपर्युक्त सीआरएफ संशोधन नयिमों में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार

33 कार्यों का प्रस्ताव करते समय सुधार के लिए भूमिकी उपलब्धता और  
मौजूदा मार्गाधिकार पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने की व्यवहार्यता का विधिवित परीक्षण किया जाना चाहिए।  
जहां तक संभव हो उन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिन्हें उपलब्ध भूमि पर क्रियान्वित किया जा सके।  
हालांकि ऐसे मामलों में जहां भूमि अधिग्रहण अपरहार्य हो, भूमिकी स्थानांतरण प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

*(Handwritten signature)*